



बिहार सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या FC- 447

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा० व० से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 18/06/2019

विषय - जमुई जिलान्तर्गत NH-333 के 112वें कि०मी० पर RCC उच्चस्तरीय ब्रीज के निर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.124 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि जमुई जिलान्तर्गत NH-333 के 112वें कि०मी० पर RCC उच्चस्तरीय ब्रीज के निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.124 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय मुंगेर का प्रस्ताव वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 921 (ई०) दिनांक 28.08.1997 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथांश के 112वें कि०मी० पर उच्च स्तरीय माईनर RCC ब्रीज के निर्माण में 2.124 हे० वन भूमि एवं 21 वृक्षों के पातन का आकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई एवं वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर द्वारा किया गया है। पातित होने वाले सभी वृक्ष 60 CM से अधिक के हैं।

2. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 प्रतिवेदित किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है।

4. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 2.124 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 4.248 हे० अर्थात् 5.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, जमुई के जमुई प्रक्षेत्र अन्तर्गत कटौना PF को चिन्हित किया गया है। वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त की गयी है एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 2.124 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 13,29,624/- (रूपये तेरह लाख उनतीस हजार छः सौ चौबीस) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 2.124 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये जमुई वन प्रमंडलन्तर्गत 5.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि के टौना सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 19,54,885/- मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1072/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
5. परियोजना निर्माण के क्रम में क्षेत्रीय पदाधिकारियों याथ वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के दिशा निर्देश में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा तथा अधिक से अधिक वृक्षों का Translocate किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC-447

दिनांक—18/06/2019

प्रतिलिपि — कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय मुंगेर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।